न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 65/2021 GCMS No 2021/390
दायरा तिथि : 16.11.2021
आदेश तिथि : 28-6-2022

प्रार्थीगण :–

1. श्रीमति सारकी पत्नि सबलाराम
2. सोदी पुत्री सबलाराम
3. लाली पुत्री सबलाराम
4. पुरकी पुत्री सबलाराम तमाम जाति राईका
   निवासीगण भागली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. दानसिंह पुत्र भोपालसिंह
2. पवनकंवर पत्नि दानसिंह कौज राजपुत
   निवासीगण जीवदा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 28-6-2022

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण द्वारा सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का, पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 412/449 रकबा 4.37 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण दानसिंह पुत्र भोपालसिंह व पवनकंवर पत्नि दानसिंह जाति राजपुत निवासी जीवदा की खातेदारी भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का, पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 412/429 रकबा 4.80 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मेंसे प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में मार्क A से B लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथा साथ ही हितबद्ध अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हितबद्ध अप्रार्थी की ओर से वकील श्री भरत जे. राठौड ने दिनांक 25.11.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/516 दिनांक 18.02.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1.यह हैं कि ग्राम भागली के खसरा नंबर 412/449 रकबा 4.37 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम की खातेदारी भूमि प्रार्थीनी श्रीमति सारकी पत्नि सबलाराम जाति राईका वगैरा की खातेदारी दर्ज है। खातेदारो की धारित भूमि में आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. यह हैं कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	412/429	4.80 हैक्टर	बारानी अव्वल	200X5=1000 वर्गमीटर	दानसिंह पुत्र भोपालसिंह हि. 1/2 पवनकंवर पत्नि दानसिंह हि. 1/2 रहन RMGB भाटून्द

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम भागली की डी.एल.सी. दर 140400/–रूपये प्रति हैक्टर है।

4. यह हैं कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं हैं एवं न ही अन्य कोई क्षति होगी।

प्रकरण में अप्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत होने पर दोनो पक्षो के वकुलाय की बहस के पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. दिनांक 29.03.2022 को खारिज करते हुये अप्रार्थी पक्ष को आपत्तिया/जवाब प्रस्तुती के लिये समय/अवसर दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (र

पेज लगातार........

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 65/2021 GCMS No 2021/390
अनवान सारकी वगैरा बनाम दानसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अप्रार्थी पक्ष की ओर से दिनांक 18.04.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) का जवाब/आपत्तियाँ पेश कर
प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 412/449 में आने जाने के लिये प्रार्थीगण की खातेदारी के पास पूर्व
दिशा की ओर खसरा नंबर 412/439, 412/438 व 412/437 की भूमिया है, जिसके खातेदार
मोडसिंह पुत्र मेघसिंह कौम राजपुत निवासी भागली व छैलसिंह परबतसिंह पिसरान् दलपतसिंह व
पेपकंवर वगैरा है। जिसमें से सभी खातेदारान् की भूमि को तोडते हुये रास्ता दिया जा सकता है।
खसरा नंबर 412/429 जिसमें से प्रार्थीगण ने रास्ता की मांग की है, इस भूमि में मौके पर कुआँ खोदा
हुआ है, जिससे आने जाने हेतु उक्त रास्ता उपयुक्त नहीं है। प्रार्थीगण उक्त विकल्प के अतिरिक्त
खसरा नंबर 412/467 की भूमि से भी रास्ता प्राप्त कर सकते है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र
नियमो के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने व वकील अप्रार्थी पक्ष द्वारा आपत्तियॉं प्रस्तुत करने से उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील अप्रार्थी श्री भरत जे. राठौड द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जाने के लिये विकल्प मौजुद होते हुये अप्रार्थी की भूमि को लक्ष्य बनाते हुये गलत तौर से आवेदन पेश किया है। प्रार्थीगण के पास विकल्प मौजुद होने से विधिक प्रावधानो के तहत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सबंध में आपत्ति कर दलील दी गई कि उक्त रिपोर्ट मौका स्थिति के विपरित तैयार की गई है, मौके पर प्रस्तावित रास्ता के रूट में अप्रार्थी का ट्यूबवैल है, जिससे उक्त रूट से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। वकील अप्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये वकील प्रार्थी श्री मगाराम चौहान ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये कोई अन्य विकल्प नहीं होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 412/429 मेंसे रास्ता हेतु आवेदन किया है। जिस पर निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर द्वारा मौका देखा जा चुका है एवं मौका व रेकर्ड की जांच के पश्चात् तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त रूट से रास्ता प्रस्तावित भी कर दिया है। प्रकरण समरी प्रोसिंग्स का है, जिसमें बार बार आपत्तिया प्रस्तुत करते हुये अनावश्यक रूप से प्रकरण को डिले किया जा रहा है। अतः आपत्तियॉं खारिज कर तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट अनुसार आवेदको को रास्ता दिलाये जाने की दलील दी गई। दोनो पक्षो की बहस के पश्चात् वर्णित रास्ते के रूट का मौका देखा गया। मौका देखने के पश्चात् तहसीलदार, बाली से मौके पर अवस्थित ट्यूब वैल को छोडते हुये पुनः मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगाने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर मय तहसीलदार, बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2022/1620 दिनांक 01.06.2022 से पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट में खसरा नंबर 412/429 में मौके पर स्थित ट्यूबवैल को रास्ता से अलग रखते हुये पुनः मय नजरी नक्शा के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें 3X202=606वर्गमीटर का रास्ता प्रस्तावित किया। हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वकील अप्रार्थी ने आपत्ति में जिस खसरा नंबर से रास्ता का विकल्प उपलब्ध होना बताया गया वर्णित भूमियॉं कृषि भूमि न होकर आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमियॉं है, जिससे तहसीलदार, बाली एवं निरीक्षक भू.अ. बिसलपुर द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित ट्रैक से मौके पर अवस्थित ट्यूब वैल को अलग रखते हुये रास्ता दिया जाना उचित है। प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा पुर्व प्रस्तुत रिपोर्ट में रास्ता की चौडाई 5 मीटर उल्लेखित की थी, परन्तु वर्तमान प्रस्तुत रिपोर्ट में मात्र 3 मीटर चौडाई का रास्ता ही प्रस्तावित किया है, जो रास्ता 10 फीट से भी कम चौडाई का है। उक्त रास्ता से ट्रैक्टर इत्यादि गुजरना संभव नहीं है।
अतः जिस प्रयोजन के लिये रास्ता स्वीकृत किया जा रहा है, वह प्रयोजन सिद्व नही हो तो इसका
मकसद ही समाप्त हो जावेगा। प्रार्थी के ट्रैक्टर इत्यादि स्वीकृत रास्ता से आवागमन कर सके, इस हेतु
निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर व तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वर्णित ट्रैक से 4 मीटर चौडाई का
रास्ता आवेदक को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन
नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/
03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे ग्राम भागली पटवार
हल्का, पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 412/449 रकबा 4.37 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में
आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण दानसिंह पुत्र भोपालसिंह व
पवनकंवर पत्नि दानसिंह जाति राजपुत निवासी जीवदा की खातेदारी भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का,

पेज लगातार....03

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 65/2021 GCMS No 2021/390
अनवान सारकी वगैरा बनाम दानसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पैरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 412/429 रकबा 4.80 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मेंसे तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/राजस्व/2022/1620 दिनांक 01.06.2022 के उल्लेखित मौका नक्शा में वर्णित रूट अनुसार **मेंसे 4X202=808 वर्गमीटर** नया मार्ग **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता करावे। प्रतिकर राशि निम्नानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 140400/- प्रति हैक्टर की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
412/429	4.80 हैक्टर	4X202=808	14.04	11344X2=22688	दानसिंह पुत्र भोपालसिंह हि. 1/2 पवनकंवर पत्नि दानसिंह हि. 1/2 रहन RMGB भाटून्द

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **22688/- (अक्षरे बाईस हजार छः सौ अट्ठासी रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जायेगी। अप्रार्थीगण द्वारा राशि नहीं लिये जाने की दशा में प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

क्रमॉक/कोर्ट(रास्ता)/2022/2196-94
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ/ सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, पैरवा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील कार्यालय ,बाली
5. आवेदक सारकी पत्नी सबलाराम जाति राईका निवासी भागली तहसील बाली को सूचनार्थ प्रेषित है।

कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner